



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 जनवरी, 2010 ई0
पौष 17, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 23/XXXVI(3)/2010/81(1)/2009

देहरादून, 07 जनवरी, 2010

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 2009’ पर दिनांक 07 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 12, वर्ष 2010 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 2009

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12, वर्ष 2010)

उत्तराखण्ड राज्य के मंत्रियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित विधि का समेकन करने के लिए—

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में—

(अ) “अनुरक्षण” के अन्तर्गत किसी निवास स्थान के सम्बन्ध में, स्थानीय दरों और करों का भुगतान करना और जल और विद्युत शुल्क सहित विद्युत की व्यवस्था करना भी है, और

(आ) “परिवार” से किसी मंत्री के सम्बन्ध में उसके पति या उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहन अभिप्रेत है, जो ऐसे मंत्री के साथ रहते हों और उस पर पूर्णरूप से आश्रित हों,

(इ) “मंत्री” से उत्तराखण्ड सरकार के मंत्रि परिषद् का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री और राज्य के उपमंत्री भी हैं,

(ई) “सभा” से उत्तराखण्ड विधान सभा अभिप्रेत है।

वेतन

3. (1) मुख्यमंत्री और मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त पन्द्रह हजार रुपये प्रतिमाह के वेतन का हकदार होगा।

(2) प्रत्येक राज्यमंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त चौदह हजार रुपये प्रतिमाह के वेतन का हकदार होगा।

(3) प्रत्येक उप मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त बारह हजार रुपये प्रतिमाह के वेतन का हकदार होगा।

(4) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट वेतन उस कर के अतिरिक्त होगा जो उस वेतन (जिसके अन्तर्गत परिलब्धियाँ भी हैं) के सम्बन्ध में आयकर से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय हो और ऐसे कर का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

निवास स्थान

4. (1) प्रत्येक मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त और उसके पश्चात् पन्द्रह दिन की अवधि के लिए देहरादून अथवा जहाँ राजधानी हो, में निवास-स्थान का, किराये का भुगतान किये बिना, उपयोग करने का हकदार होगा, जिसे विहित मानदण्ड के अनुसार सरकारी व्यय पर सुसज्जित और अनुरक्षित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक मंत्री जिसके उपयोग के लिए उपधारा (1) के अधीन देहरादून अथवा जहाँ राजधानी हो, में निवास स्थान की व्यवस्था की गयी हो, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् ऐसे वास-स्थान को रिक्त कर देगा और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उस वास-स्थान का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो।

(3) जहाँ किसी मंत्री को उपधारा (1) के अनुसार निवास स्थान की व्यवस्था न की गयी हो या वह उक्त उपधारा के लाभ का उपभोग न करे, वहाँ वह दस हजार रुपये प्रतिमाह की दर पर प्रतिकर भत्ता पाने का हकदार होगा।

5. (1) प्रत्येक मंत्री को अपनी पदावधि में आद्योपान्त एक मोटर गाड़ी और उसे चलाने के लिए चालक (शोफर) की व्यवस्था की जायेगी जिसका क्रय और अनुरक्षण सरकारी व्यय पर इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायेगा। सवारी
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मोटर गाड़ी का उपयोग करने के लिए निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जायें।
6. (1) उपमंत्री से भिन्न प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में (स्थल, समुद्र या वायुमार्ग द्वारा) की गई यात्रा हेतु अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिये उस दर पर और उन शर्तों पर, जो विहित की जायें यात्रा भत्ता और फुटकर खर्च का हकदार होगा। यात्रा भत्ता आदि
- (2) प्रत्येक उपमंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में, (स्थल समुद्र या वायु मार्ग द्वारा) की गई यात्रा हेतु उस दर पर और उन शर्तों पर, जो विहित की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
- (3) प्रत्येक मंत्री—
 - (क) पद ग्रहण करने के प्रयोजनार्थ अपने सामान्य निवास स्थान से देहरादून अथवा जहाँ राजधानी हो, के लिए यात्रा करने के सम्बन्ध में, और
 - (ख) पद त्याग करने पर देहरादून अथवा जहाँ राजधानी हो, से बाहर अपने सामान्य निवास स्थान तक यात्रा करने के सम्बन्ध में, अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए और अपने और अपने परिवार के सामान के परिवहन के लिए यात्रा-भत्ते का हकदार होगा।
- (4) उपधारा (1) से (3) में किसी बात के होते हुए भी किसी मंत्री को धारा 5 में निर्दिष्ट मोटर गाड़ी या राज्य सरकार की किसी अन्य गाड़ी से की गयी यात्रा के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
7. प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में की गयी यात्राओं के दौरान किसी किराये या विद्युत प्रभार का भुगतान किये बिना राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित सर्किट हाउस, निरीक्षण भवन या अन्य विश्राम गृहों का उपयोग करने का हकदार होगा। सर्किट हाउस आदि का उपयोग
8. प्रत्येक मंत्री और उसके परिवार के सदस्य राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित अस्पतालों में उपचार अवधि के दौरान निःशुल्क स्थान और उन सिद्धान्तों के अनुसार जो राज्य सरकार के उच्चतम श्रेणी के अधिकारियों हेतु विहित किये जायें, चिकित्सा, परिचर्या और उपचार के हकदार होंगे। चिकित्सा सुविधाएं
9. जिस दिनांक से कोई व्यक्ति मंत्री बनता है या मंत्री नहीं रहता है उसे सरकारी गजट में अधिसूचित किया जायेगा और कोई ऐसी अधिसूचना इस तथ्य का निश्चयक साक्ष्य होगी कि वह उस दिनांक से मंत्री बना या मंत्री नहीं रह गया। मंत्री के पद पर नियुक्ति और उसकी रिक्ति की अधिसूचना
10. कोई मंत्री अपनी पदावधि के दौरान जिसके लिये वह वेतन और भत्ता लेता है, मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से भिन्न कोई वृत्ति या व्यापार या पारिश्रमिक के लिए कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा। कोई वृत्ति करने का निषेध
11. प्रत्येक मंत्री, जो सभा का सदस्य हो, उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 2008 (समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा 4, 7, 11, 16, 17 और अध्याय ग्यारह के अधीन उपलब्ध लाभों का उपभोग करता रहेगा। उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2008 के अधीन सुविधाएं

- वेतन आदि का त्याग 12. कोई मंत्री, किसी समय, ऐसे वेतन, भत्ते या अन्य सुविधाओं का, जिनका वह हकदार है, पूर्णतया या उसके किसी भाग का त्याग इस आशय की लिखित घोषणा द्वारा कर सकता है।
- नियम बनाने की शक्ति 13. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) धारा 14 द्वारा निरसित अधिनियमिति के अधीन बनाये गये और इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को प्रवृत्त सभी नियम, जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समझे जायेंगे और वे तब तक विधिमान्य और प्रभावी बने रहेंगे जब तक उन्हें उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नये नियमों द्वारा निरसित न किया जाय।
- निरसन एवं व्यावृत्ति 14. (1) उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम, यथासंशोधित अधिनियम में उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Ministers (Salaries, allowances and miscellaneous provisions) Bill, 2009' (Adhiniyam Sankhya 12 of 2010):--

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 07 January, 2010.

No. 23/XXXVI(3)/2010/81(1)/2009

Dated Dehradun, January 07, 2010

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND MINISTERS (SALARIES, ALLOWANCES AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 2009

(UTTARAKHAND ACT NO. 12 OF 2010)

To consolidate the law relating to the salaries, allowances and other facilities to Ministers of the State of Uttarakhand

AN

Act

Be it is enacted by the Legislative Assembly of the State of Uttarakhand in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:--

Short Title & Commencement

1. (1) This Act may be called The Uttarakhand Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 2009.
(2) It shall come into force at once.

2. In this Act--

Definitions

- (a) 'Maintenance' in relation to a residence includes the payment of local rates and taxes and the provision for water and electricity including electricity duty; and
- (b) 'Family' in relation to a Minister means his or her spouse, son, daughter, father, mother, brother or sister residing with and wholly dependent on such Minister;
- (c) 'Minister' means a member of the Council of Ministers of the Government of Uttarakhand and includes the Chief Minister, a Minister of State and a Deputy Minister of the State;
- (d) 'Assembly' means the Uttarakhand Legislative Assembly.

3. (1) The Chief Minister and Minister shall be entitled, throughout the term of his office, to a salary of Fifteen Thousand rupees per month.

Salary

- (2) Every Minister of State shall be entitled, throughout the term of his office, to a salary of Fourteen Thousand rupees per month.
- (3) Every Deputy Minister shall be entitled, throughout the term of his office, to a salary of Twelve Thousand rupees per month.
- (4) The salary referred to in sub-section (1) and (2) shall be exclusive of the tax payable in respect of such salary (including perquisites) under any law relating to income tax for the time being in force, and such tax shall be borne by the State Government.

4. (1) Each Minister shall be entitled without payment of any rent to the use throughout the term of his office and for a period of Fifteen days thereafter, of a residence at Dehradun or Capital of State which shall be furnished and maintained at public expense at the prescribed scale.

Residence

- (2) Each Minister for whose use a residence at Dehradun of Capital of State has been provided under sub-section (1) shall immediately after the expiration of the period referred to in that sub-section, vacate such accommodation and an officer authorised by the State Government in this behalf may take possession of the accommodation and may, for the purpose, use such force as may be necessary in the circumstances.

- (3) Where a Minister has not been provided with a residence in accordance with sub-section (1), or does not avail of the benefit of the said sub-section, he shall be entitled to compensatory allowance at the rate of Rupees Ten Thousand per month.

- (4) The motor vehicle provided to a Deputy Minister at any time before the commencement of this Act shall be deemed to have been validly provided.

5. (1) Each Minister shall, throughout the term of his office, be provided with a motor vehicle with chauffeur (driver) which shall be purchased and maintained at public expense in accordance with the rules made in that behalf.

Conveyance

- (2) The terms and conditions for the use of the motor vehicle referred to in sub-section (1) shall be such as may be prescribed.

Travelling
allowance etc.

6. (1) Each Minister other than a Deputy Minister shall be entitled for journeys (whether by road, sea or air) performed in connection with the discharge of his official duties to travelling allowance and out of pocket expenses for himself and the members of his family at such rates and upon such conditions as may be prescribed.
- (2) Each Deputy Minister shall be entitled for journeys (whether by road, sea or air) performed in connection with the discharge of his official duties to travelling and daily allowance at such rates and upon such conditions as may be prescribed.
- (3) Each Minister shall be entitled to travelling allowance for himself and the members of his family and for the transport of his and his family's effects--
- (a) in respect of the journey to Dehradun or Capital of the State from his usual place of residence outside Dehradun for the purposes of assuming office; and
- (b) in respect of the journey to Dehradun or Capital of the State to his usual place of residence outside Dehradun on relinquishing office.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) to (3), no travelling allowance shall be payable to a Minister in respect of journeys performed by the motor vehicle referred to in section 5 or any other vehicle belonging to the State Government.

Use of circuit
houses etc.

7. Every Minister shall be entitled and be deemed always to be entitled to the use of the circuit house, inspection house or other rest houses maintained by the State Government without payment of any rent or electricity charges during the course of journeys performed in connection with the discharge of his official duties.

Medical facilities

8. Every Minister and the members of his family shall be entitled, free of charge, to accommodation in hospitals during the period of treatment maintained by the State Government and to medical attendance and treatment in accordance with such principles as may be prescribed for the highest class officers of the State Government.

Notification of
appointment
and vacancy in
the office of a
Minister

9. The date on which any person became or ceased to be a Minister shall be notified in the official Gazette and any such notification shall be conclusive evidence of the fact that he became, or ceased to be a Minister, on that date.

Prohibition
against practicing
any profession
etc.

10. No Minister shall during the tenure of his office for which he draws his salary and allowance, practise any profession or engage in any trade or undertake for remuneration any employment other than his duties as Minister.

Facilities under
Uttarakhand Act
06 of 2008

11. Every Minister who is a member of the Assembly shall continue to enjoy the benefits available to him under section 4, 7, 11, 16, 17 and Chapter XI of the Uttarakhand State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 2008 (as amended from time to time).

Relinquishment
of salary etc.

12. A Minister may, at any time, relinquish the whole or any part of the salary, allowances or other facilities to which he is entitled by making a written declaration to that effect.

- | | |
|--|---------------------------|
| <p>13. (1) The State Government may, by notification, make rules to carry out the purposes of this Act.</p> <p>(2) All rules made under the enactment repealed by section 14 and in force on the date immediately preceding the date of commencement of this Act shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been made under this Act and they shall continue to be valid and effective until they are repealed by new rules made under sub-section (1).</p> | <p>Rules making power</p> |
| <p>14. (1) The Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981, (As applicable to the State of the Uttarakhand) is hereby repealed in its application to the State of Uttarakhand.</p> <p>(2) Notwithstanding such repeal of the Act as amended Act specified in sub-section (1) anything done or any action taken under the provisions shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act, as if this Act were in force at all material times.</p> | <p>Repeal and saving</p> |

By Order,

RAM DATT PALIWAL,
Secretary.